सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

# जालंधर ब्रीज

PUNHIN01927-TC

## इस सप्ताह का विचार

कभी उसको नज़र अंदाज ना करो
जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हों,
वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा
के पत्थर जमा करते-करते
तुमने हीरा गंवा दिया

## अनमोल वचन

जिस दिन आपने अपनी
सोच बड़ी कर ली
बड़े-बड़े लोग
आपके बारे में
सोचना शुरू कर देंगे.....

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • EDITOR: ATUL SHARMA • 8 AUGUST TO 14 AUGUST 2019 • VOLUME-3 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • Mobile: 99881-15514 • email:atul_editor@jalandharbreeze.com

**खूनी हाईवे**

# जालंधर- पानीपत 6 लेन होने के बावजूद पुराने फ्लाईओवर 4 लेनिंग क्यों रहने दिए ?

बड़ी दुर्घटनाओं का केन्द्र बन रहे फ्लाईओवर की मुंह बोलती तस्वीर।

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

केन्द्र में कांग्रेस के समय शुरू हुए प्रोजैक्ट लोगों के अभाव में किसी वरदान से कम नहीं होगा पर आज 10 से 12 साल बाद ये अभिशाप की तरह सिद्ध हो रहा है। इस हाईवे को लोगों द्वारा खूनी हाईवे से भी जाना जाता है।

इस हाईवे पर हो रही दुर्घटनाएं जिसमें कई परिवारों के चिराग बुझ गए है और ऐसे कई नौजवान जो सारी जिंदगी के लिए विकलांग हो गए है। कई समाचार पत्रों द्वारा समाज सेवी संस्था द्वारा इस बाबत बार-बार नैशनल हाईवे के अफसरों को जिला अधिकारियों को चेताया गया है और मौजूदा पंजाब के विजीलैंस विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है जोकि अंतिम चरण में है। इस बात का खुलासा एस.एस.पी विजीलैंस जालंधर ने एक हिंदी समाचार पत्र के माध्यम से कुछ दिन पहले किया है। इस प्रोजैक्ट में बड़ी गलती पी.ए.पी फ्लाई ओवर के गलत डिजाइन का मुद्दा अभी इस समय बहुत गर्माया हुआ है पर जो मुद्दा अभी तक किसी के ध्यान में नहीं आया वो इस प्रकार से है कि एन.एच.आई के अधिकारियों द्वारा और उनकी डिजाइन टीम के अधिकारियों द्वारा मौजूदा 4 लेन फ्लाईओवर को 6 लेन फ्लाई ओवर करने का प्रस्ताव ध्यान में नहीं रखा गया जोकि आज की तारीख में बड़ी दुर्घटनाओं का केन्द्र बन चुका हैं, क्योंकि बाहर से आ रहे व्यक्ति को नहीं पता कि कौन सा पुल 6 लेन है और कौन सा पुल 4 लेन है।

क्योंकि पंजाब में 6 लेन प्रोजैक्ट तो ले आए पर लेन ड्राईविंग का कन्सैपट सही तरीके से उसको जमीनी हकीकत पर लागू नहीं करवा पाए। उसका कारण प्रोजैक्ट 6 लेन होने के बावजूद पुराने फ्लाईओवर का 4 लेन होना जिसमें टू व्हीलर को गाड़ी चलाने के लिए कोई व्यवस्था डिजाईन पार्ट में नहीं है न ही उसकी एक्सेक्यूशन में दर्शाया गया है।

जालंधर शहर की आबादी बड़ी संख्या में जालंधर-पानीपत हाईवे के आसपास आबाद हो चुकी है। उस कारण ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन अधिकारियों द्वारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जो गलतियां एन.एच.आई अधिकारियों द्वारा पी.ए. पी चौक फ्लाई ओवर के डिजाइन में की गई है। उसी प्रकार की गलतियां रामामंडी फ्लाई ओवर में भी कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है।

उदाहरण के तौर पर जब ट्रैफिक पी.ए.पी चौक फ्लाई ओवर से उतरकर रामामंडी फ्लाईओवर तक बढ़ेगा तो फ्लाईओवर खत्म होने की कुछ दूरी के बाद दकोहा रेलवे फाटक जिसका फाटक हाईवे के साथ बिल्कुल सटा हुआ है और उसके फाटक के बंद होने के बाद सारा ट्रैफिक वहां पर स्लिप रोड ना होने के कारण राष्ट्रीय मार्ग पर जमा हो जाता है। यह जाम राष्ट्रीय मार्ग में आने वाले तेज वाहनों में दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है। यहां पर हाईवे नियमों के मुताबिक किसी भी दाएं-बाएं लिंक रोड़ को प्रवेश देने के लिए अंडर पास का निर्माण होना जरूरी था और रामामंडी फ्लाईओवर को फाटक पार करवाकर उतराना चाहिए था जोकि मौके पर फ्लाईओवर का काम करवाया जा रहा है ऐसा लगता है कि यह हकीकत से परे है। जालंधर ब्रीज अखबार के माध्यम से डिप्टी कमिशनर जालंधर से मांग की जाती है कि बन रहे रामामंडी फ्लाईओवर निर्माण को और डिजाइन को अपने स्तर पर इसकी डिटेल रिपोर्ट एन.एच.आई. के अधिकारियों से ली जाएं। और जो फ्लाईओवर 4 लेन रहने दिए गए उसकी जाँच की जाएं। अगर यह खामियां नहीं ठीक गई तो यह रामामंडी फ्लाईओवर भी शुरू करने के कुछ घंटों बाद बंद करना पड़ सकता है।

# कृप्या रेलवे प्रशासन ध्यान दें!

## व्यवस्था में सुधार न मुमकिन तो नहीं

■ जालंधर/ विजय कुमार

यूं तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कागजों में बहुत सी सुविधाएं दी गई है। परन्तु वास्तविकता और ही है। ऐसा ही उदाहरण जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काऊंटर पर नज़र दौड़ाए तो देखने को 3 कांऊटर बनाए गए है, लेकिन टिकट देने वाले अधिकारी केवल 2 ही है। सीनियर सिटीजन के लिए कोई लाईन नहीं उन्हें भी अन्य नागरिकों की लाईन में ही खड़े रहना पड़ता है। रेलवे लाईन क्रास करने के लिए जो ओवर ब्रिज बना है। उस पर चढ़ना तो मौत को बुलावा देने वाली बात है। सीढ़ियों के स्टैप की ऊंचाई कहीं 10 इंच कहीं 7 इंच और कहीं 4 इंच की है, हर एक स्टैप की ऊंचाई एक समान होनी चाहिए। सीढ़ी पर लगे चैनल पर पैर फंसने से कोई भी इंसान गिर सकता है और दुर्घटना का शिकार बन सकता है। रेल नीर कभी देखने को भी नहीं मिलता बिसलेरी, किंनले जैसी बड़ी कंपनियों का पानी ही मिलता हैं। अखबारों का स्टाल तो बना है परंतु कभी खुल जाए तो ठीक वरना राम भरोसे। वेटिंग रूम रात्रि 8 बजे बाहर से बंद कर दिया जाता है परंतु संभव है कि रेलवे कर्मचारी सोते हो।

आम यात्रियों के लिए वेटिंग रूम में सफाई नामात्र है। सार्वजनिक स्थान होने के बावजूद भी लोग धुम्रपान भी करते है चूना भी थूकते है उन्हें ना कोई कर्मचारी और ना ही जी.आर पी. और ना ही आर.पी. एफ के अधिकारी रोकते है। साधु बने लोगों के लिए रेलवे स्टेशन आराम घर बन चुंके है। ये साधु बिना टिकटों के ही यात्रा कर आते है और भीख मांगते हुए रेल पर वापसी भी हो जाती है। अनाधिकृत समान बेचने वालों से लेकर गाना गाने वालों तक आपको ट्रेन में मिलेगें। अवैध ढंग से चाय बेचने वाले तो हर स्टेशन पर ही मिलेंगे जो गाड़ी चलते ही गाड़ी पर चढ़ जाते है। इन पर रेल कर्मचारियों से लेकर रेलवे पुलिस तक सब मेहरबान है या कोई ओर कारण है। सुबह चलने वाली ट्रेनों में रेलवे कर्मचारी हो या अन्य, आरक्षित सीटों पर जमे हुए डेली पैसेंजर लुधियाना तक जमें ही रहेंगे और जिस यात्री ने सीट रिर्जेव करवाई है उसे साथ वाली खाली सीट पर बैठने को कहेंगे।

अब यात्री या तो साथ चल रहे कंडैकटर को ढूंढे या झगड़ा करे या टीटी को ढूंढे। नई-नई सुविधाएं देने के बदले पहले रेल विभाग व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। 70 सालों से चली आ रही व्यवस्था में सुधार कर पाना ना मुमकिन नहीं।

# घाटी में पत्थरबाजी की कुछ घटनाओं को छोड़कर हालात सामान्य

## राजनेताओं सहित 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

■ जम्मू-कश्मीर/ब्यूरो

घाटी में संचार-व्यवस्था ठप्प होने और तमाम प्रतिबंधों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने राजनेताओं, कार्यकर्ताओं सहित 100 से अधिक लोगों को शांति के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 100 से अधिक राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी तक घाटी में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने हालांकि गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला रविवार रात से नजरबंद थे। उन्हें राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा बताते हुए सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और इमरान अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नेताओं को उनके निवास से कुछ मीटर की दूरी पर हरि निवास में रखा गया है। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी में उनकी गतिविधियों से शांति और सौहार्द में खलल पैदा होने के डर के चलते मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने की घोषणा के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं।

# अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद के बाद पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की अधिकतर धाराएं हटाए जाने से जुड़े सरकार के कदम को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच मतभेद खुलकर सामने आने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने आगामी नौ अगस्त को अपने महासचिवों-प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों, राज्यों में विधायक दल के नेताओं, पार्टी के विभाग प्रमुखों और सांसदों की बैठक बुलाई है। बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पत्र लिखकर बैठक की जानकारी दी है।

यह बैठक नौ अगस्त की शाम 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित पार्टी के वाररूम में प्रस्तावित है। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति ने भी जम्मू-कश्मीर के विषय पर बैठक की थी जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर सरकार के कदम को एकतरफा और अलोकतांत्रिक करार देते हुए यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पीओके तथा चीन के अधीन भूभाग भी भारत के अभिन्न अंग हैं।

# कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर घबराया पाकिस्तान

## इमरान ने दूसरी बार एनएसपी की मीटिंग बुलाई

■ इस्लामाबाद/ब्यूरो

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले पर पाकिस्तान घबरा गया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कश्मीर के कदम को देखते हुए एक सप्ताह के अंदर ही राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) का दूसरा सत्र बुलाया। जियो न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के फैसले के बाद एक हफ्ते के अंदर बुलाए गए इस तरह के दूसरे सत्र में शीर्ष सिविल-मिलिटी के अधिकारी रणनीति पर विचार करेंगे।

नेशनल असेम्बली के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए खान ने कहा था, मैं पहले ही यह अनुमान लगा सकता हूं कि वे हमारे ऊपर फिर से वार करने का प्रयास करेंगे. वे फिर से हम पर हमला कर सकते हैं और हम फिर से जवाबी कार्रवाई करेंगे।

उन्होंने कहा, तब क्या होगा? वे हम पर हमला करेंगे और हम जवाब देंगे और युद्ध दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। तो वह युद्ध कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीतेगा।

उन्होंने कहा, इसका पूरी दुनिया के लिए दुखद परिणाम होगा। यह परमाणु ब्लैकमेल नहीं है। इसके साथ ही खान ने जम्मू एवं कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने पर विश्व से भारतीय-प्रशासित कश्मीर के लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। गौरतलब है कि एनएससी की पिछली बैठक चार अगस्त को आयोजित की

# पंचतत्व में विलीन सुषमा स्वराज

## नम आंखों से लोगों ने दी अंतिम विदाई

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके आवास पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सुषमा स्वराज का मंगलवार रात को हार्टअटैक के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। लोधी रोड में सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ने अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को पूरी की उनके साथ सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल मौजूद थे। भाजपा मुख्यालय में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अंतिम दर्शन हुए। जिसके बाद सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए लोधी रोड ले जाया गया। बता दें कि सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार लोधी रोड के शवदाह गृह में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सुषमा स्वराज के शव को कंधा दिया। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर उनके आवास से बीजेपी मुख्यालय लाया गया। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके आवास पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सुषमा स्वराज का मंगलवार रात को हार्टअटैक के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था।

उक्ति

किसी को ठेस पहुंचाकर माफी मांगना जरा आसान काम है, लेकिन किसी से ठेस पाकर उसे माफ करना बेहद कठिन। यह काम तो बहुत कम इंसान ही कर पाते हैं।

■ मार्टिन लूथर किंग जूनियर

जालंधर ब्रीज
• साप्ताहिक 8 अगस्त से 14 अगस्त 2019

दखल

# अंजाम तक पहुंची धारा-370

जम्मू-कश्मीर पर चल रही तमाम अटकलों, अफवाहों और कयासों पर अब विराम लग गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला लिया है। सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए धारा-370 को खत्म करने का फैसला किया है, तो पूरे देश में खुशी की लहर है। हर कोई चाहता था कि देश को अलग करने वाली यह धारा खत्म की जाए। इस धारा को खत्म करने पर विपक्ष ही है जो हंगामा कर रहा है।

जम्मू-कश्मीर पर चल रही तमाम अटकलों, अफवाहों और कयासों पर अब विराम लग गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दो अहम संकल्प पेश किए। इस संकल्प में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटने का संकल्प शामिल है। जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा और इस प्रदेश की अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख अब जम्मू-कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में एक संकल्प पेश किया। इस संकल्प में उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-370 के सभी खंड जम्मू-कश्मीर में नहीं लागू होंगे। शाह ने राज्यसभा में कहा, 'महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन अनुच्छेद 370(3) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के।'

अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि यहां रहने वाले लोग विकास की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। अमित शाह की ओर से संसद में ये दो संकल्प पेश करते ही विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। पीडीपी सांसद घोषणा के बाद ही कपड़े फाड़कर बैठ गए और हंगामा करने लगे। यही नहीं कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के सांसदों ने भी केंद्र सरकार की इस घोषणा पर खूब हंगामा किया। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि भाजपा ने संविधान की हत्या की है। संसद में अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में ये गलत धारणा है कि अनुच्छेद-370 की वजह से कश्मीर भारत के साथ है। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर भारत के विलय पत्र की वजह से है जिसपर 1947 में हस्ताक्षर किया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि वोट बैंक की वजह से विगत दिनों में इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति है और हम वोट बैंक की परवाह नहीं करते हैं। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद-370 को हटाने में अब एक सेकंड की भी देरी नहीं करनी चाहिए। बहरहाल, सरकार के इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के मसले पर अपनी नीतियों को लेकर आलोचनाओं का शिकार होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे कि एक न एक दिन अनुच्छेद 370 को हटना ही है।

नेहरू की इस भविष्यवाणी की झलक जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन नेता पं. प्रेमनाथ बजाज को लिखे पत्र में दिखती है। 21 अगस्त, 1962 को अनुच्छेद 370 के संबंध में पं. प्रेमनाथ बजाज के पत्र का उत्तर देते हुए जवाहर लाल नेहरू ने लिखा था, 'वास्तविकता यह है कि संविधान में इस धारा के रहते हुए भी, जो कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है, बहुत कुछ किया जा चुका है और जो कुछ थोड़ी बहुत बाधा है, वह भी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। सवाल भावुकता का अधिक है, बजाए कुछ और होने के। कभी-कभी भावना महत्वपूर्ण होती है लेकिन हमें दोनों पक्षों को तौलना चाहिए और मैं सोचता हूं कि वर्तमान में हमें इस संबंध में और कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए।' जवाहर लाल नेहरू और पं. प्रेमनाथ बजाज के बीच हुए इस पत्र व्यवहार का जिक्र जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन ने किताब-दहकते अंगारे में किया है। जगमोहन अपनी किताब में लिखते हैं कि इस पत्र से पता चलता है कि नेहरू ने स्वयं धारा 370 में भावी परिवर्तन से इंकार नहीं किया था। बहुत कुछ किया जा चुका है- माना जा रहा है कि इस कथन के पीछे नेहरू का आशय था कि धारा 370 में जरूरत पड़ने पर सरकार संशोधन करती रही है। समय आने पर संशोधनों के जरिए अन्य प्रावधान भी खत्म हो जाएंगे।

जगमोहन दो बार जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे। पहली बार वह अप्रैल 1984 से जून 1989 तक और दूसरी बार जनवरी 1990 से मई 1990 के बीच राज्यपाल रहे। इस दौरान वह जम्मू-कश्मीर में हुई कई निर्णायक घटनाओं के गवाह भी रहे। जगमोहन की नजर में जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और फूट की सबसे मजबूत जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में रहीं। उन्होंने किताब में लिखा है कि कश्मीर समस्या का वास्तविक समाधान कमजोरियों और नकारात्मक कारणों को दूर करके ही संभव है। नई दृष्टि और नया भारत का उत्साह लिए नए भारत की आवश्यकता है। कश्मीर में पाखंडी नीति अपनी सीमाएं तोड़ चुकी हैं। आज भारत के नेताओं ने सुलगती सच्चाईयों का सामना करने के बजाए भ्रमों की छाया में रहने की प्रवृत्ति अपना रखी है। जगमोहन ने अपनी किताब दहकते अंगारे में लिखा है कि कश्मीरी अलगाववाद और फूट की सबसे मजबूत जड़ें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में हैं जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। निहित स्वार्थों द्वारा इस धारा का दुरुपयोग होता है। जगमोहन ने 15 अगस्त 1986 को अपनी डायरी में लिखा- धारा 370 इस स्वर्ग रूपी राज्य में केवल शोषकों को समृद्ध करने का ही साधन है। यह गरीबों को लूटता है। यह मृगतृष्णा की तरह उन्हें भ्रम में डालता है। यह सत्ताधारी कुलीनों की जेबें भरता है।

खैर, देश को आजादी मिलने के बाद रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। 25 जुलाई 1952 का मुख्यमंत्रियों को लिखे पंडित जवाहर लाल नेहरू के पत्र से ही अनुच्छेद 370 के लागू होने की जानकारी मिलती है। इस पत्र में नेहरू ने लिखा है- जब नवंबर 1949 में हम भारत के संविधान को अंतिम रूप दे रहे थे तब सरदार पटेल ने इस मामले को देखा। तब उन्होंने जम्मू और कश्मीर को संविधान में एक विशेष किंतु संक्रमणकालीन दर्जा दिया। इस दर्जे को संविधान में धारा 370 के रूप में दर्ज किया गया। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भी इसे दर्ज किया गया। इस अनुच्छेद के माध्यम से और इस आदेश के माध्यम से हमारे संविधान के कुछ ही हिस्से कश्मीर पर लागू होते हैं। इस धारा के पक्ष में खड़े लोग कह रहे हैं कि धारा 370 ने कश्मीर में भारत के जोड़ा है। यह सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर-1947 को 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' साइन किया गया जबकि धारा 370 बाद में 1949 में आई। यह सत्य नहीं है कि जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ एकजुट नहीं होने दिया।

अब जबकि केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए धारा-370 को खत्म करने का फैसला किया है, तो पूरे देश में खुशी की लहर है। हर कोई चाहता था कि देश को अलग करने वाली यह धारा खत्म की जाए। इस धारा को खत्म करने पर विपक्ष भले ही हंगामा कर रहा हो, मगर वह भी अंदरखाने में कश्मीर के कड़वे सच को जानता जरूर है।

■ दीपक जैन
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

विशेष संपादकीय

# मोदी एक और साहसिक कदम

मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया है। सरकार का यह फैसला बेहद उम्दा है। देश की जनता भी इस धारा को खत्म करने की मांग लंबे समय से सरकार से कर रही थी।

मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया, जिसमें अनुच्छेद-370 को हटाने के साथ ही राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्रशासित क्षेत्र होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में एक संकल्प पेश किया, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। शाह ने कहा कि 1950 और 1960 के दशकों में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने इसी तरीके से अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। हमने भी यही तरीका अपनाया है। शाह ने बताया कि राष्ट्रपति धारा 370 को खत्म करने वाले राजपत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद-370 लागू था। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं, बल्कि राज्यपाल शासन लगता था। अब वहां राष्ट्रपति शासन लग सकेगा। संविधान की धारा 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब यहां वित्तीय आपातकाल लागू हो सकेगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यहां भी विधानसभा का कार्यकाल पांच साल का होगा। यहां नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता है जो अब छीन जाएगा। नए प्रावधान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां विधानसभा नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। वहां देश की राजधानी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। यहां अब राज्यपाल की जगह उप राज्यपाल की नियुक्ति होगी और प्रदेश सरकार के पास सीमित अधिकार होंगे।

धारा-370 हटाने का मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। यह इस मायने में भी खास है, क्योंकि पूरे देश की मंशा इस धारा को खत्म करने की थी। एक देश में दो विधान लोगों को लंबे समय से खटक रहा था। भाजपा भी इस दबाव को महसूस कर रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। मगर पिछली बार वह इस विषय पर कुछ नहीं कर पाई। मगर इस बार के चुनाव में मोदी सरकार को मिले प्रचंड बहुमत के बाद लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हुए सरकार ने वह कर दिखाया है, जो आज तक कोई नहीं कर पाया।

# मांझा काट रहा जीवन की डोर

चीन से आया मांझा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। एक बार फिर अलीगढ़ में एक युवक की जान चली गई है। कारण पतंग का मांझा उसके गले में लिपट गया और बड़ा घाव दे गया। चीन से आए मांझे पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है, बावजूद इसके न तो सरकार और न ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभा रहा है। समाज की संवेदनशीलता भी इस पैमाने पर अब तक परिपक्व नहीं हो पाई है।

**पतंगबाजी** दुनियाभर में मशहूर है। कई देशों में अलग अलग तरह के पतंगबाजी महोत्सव मनाए जाते हैं, जो वहां के पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। एक-दूसरे की पतंग काट कर जीत का जो मजा मिलता है वह पतंगबाजों के लिए अद्भुत होता है। पतंग काटने में हवा का रुख और पतंग की कलाबाजी के साथ पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली डोर यानी मांझा का भी खास महत्व होता है। पतंग में आगे की ओर अलग तरह के मांझे व लोहे के तार तक का प्रयोग होता है। पतंग के साथ लगे मांझे के बाद एक अलग किस्म की डोर लगाई जाती है। पतंग के साथ लगा मांझा ही दूसरी पतंग के मांझे को रगड़ता है और उसे काट देता है। मांझा दूसरी पतंग की डोर को काट सके, इस के लिए मांझे में कांच और लोहे का बुरादा लगाया जाता है। देश में कॉटन के धागे से तैयार पतंग की डोर बनाई जाती है।

हाल के कुछ सालों में चीन से नायलॉन से तैयार की गई डोर बाजार में आने लगी है। नायलॉन की डोर आसानी से टूटती नहीं है। उस के ऊपर जब लोहे और कांच का बुरादा चढ़ाया जाता है तो यह कॉटन वाले मांझे से उड़ रही पतंग की डोर को आसानी से काट देती है। चाइनीज मांझे से पतंग के साथ उड़ाने वाले के हाथ भी कटने लगे हैं। सब से खतरनाक काम तो तब होता है जब कटी हुई पतंग किसी साइकिल या मोटरसाइकिल सवार के गले, मुंह या हाथ में लिपट जाती है। इससे कई बार गले की नसें तक कट जाती हैं। इस तरह की कई घटनाएं देश में घट चुकी हैं। ऐसे ही एक हादसे में एक युवक को जान गंवानी पड़ी है। यूपी के अलीगढ़ इलाके में 30 साल का युवक मोटरसाइकिल से कुछ सामान लाने निकला था, लेकिन बीच में एक कटी पतंग का धागा उसके गले में उलझ गया। तीखे मांझे से लैस धागे से उसकी गर्दन काफी गहराई तक कट गई और ज्यादा खून बहने से आखिरकार उसे नहीं बचाया जा सका।

खेल खेलना या मनोरंजन किसी का भी हक हो सकता है। लेकिन अगर वह किसी दूसरे और उस खेल से अनजान व्यक्ति के लिए जानलेवा बनता है तो इसे किस आधार पर सही ठहराया जा सकता है? पिछले कुछ सालों के दौरान पतंग के मांझे की वजह से लोगों की जान जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस मसले पर काफी चिंता भी जताई गई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई, लेकिन आज भी हालत यह है कि इस तरह के जानलेवा धागों की खुले बाजार में बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। प्रशासन की ओर से बरती गई इस लापरवाही और आम लोगों की गैरजिम्मेदारी की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। देश में चाइनीज मांझे को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने प्रतिबंधित कर रखा है। बावजूद इसके चीन से आए मांझे लोगों की जान का सबब बन रहे हैं। नायलॉन के साथ सिंथैटिक मटेरियल से तैयार दूसरे मांझे खतरनाक होते हैं।

कानून के अनुसार इस तरह के मांझे से केवल पतंग उड़ाना ही गुनाह नहीं, बल्कि इस मांझे को बेचना भी बड़ा अपराध है। ऐनवायरनमैंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा-5 के अंतर्गत इस के इस्तेमाल पर पांच साल की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। यह निजी फर्म, कंपनी अथवा सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होता है। भारत में चाइनीज नायलॉन के धागे की खपत शुरू हो गई। अब चाइनीज नायलॉन के धागे पर मांझा तैयार करना सरल हो गया है। कांच और लोहे के बुरादे को जब चावल के मांड के साथ इस पर लगाया जाने लगा तो यह कॉटन के धागे की तरह टूटता नहीं है। जल्दी न टूटने के कारण यह पतंग उड़ाने वालों के लिए भी खास हो गया। इस से अब दूसरी पतंग को काटना आसान हो गया है। इस कारण चाइनीज नायलॉन से तैयार मांझा पतंगबाजी की पहली पसंद बन गया है।

केवल उपयोगिता में ही नहीं, कीमत में यह धागा सस्ता भी पड़ता है। ऐसे में इस का इस्तेमाल बढ़ने लगा और बाजार में चाइनीज मांझे के नाम से यह बिकने लगा। इसने कॉटन के धागे को पछाड़ दिया। पतंग जब कटने लगी और यह धागा लोगों की गरदन में फंसने लगा तो इस धागे की शिकायत होने लगी। पर्यावरण के लिहाज से यह धागा उचित नहीं था। इस कारण इस के इस्तेमाल पर पूर्णरूप से कानूनी प्रतिबंध लग गया है। कानूनी रूप से बंद होने के बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल आज भी हो रहा है। देश में बेईमानी इस कदर हावी है कि यहां पर कानून के विपरीत काम करना सरल है। हर आदमी थोड़े से मुनाफे के लिए सिस्टम को तोड़ लेता है। पतंगबाज अपनी छोटी सी खुशी व थोड़ी सी बचत के आगे देशी कॉटन के मांझे के विपरीत चाइनीज मांझे का प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा दिल्ली के रास्ते दूसरे राज्यों और फिर शहर और गांव तक पहुंचता है। चाइनीज मांझे का कोई तय मूल्य नहीं होता। डिलिवरी करने वाले को ही मुंहमांगी कीमत मिल जाती है। फुटकर बाजार में यह मांझा ज्यादा डिमांड में है, ऐसे में यह चोरी छिपे भी खूब बिकता है।

बहरहाल, पतंग कटने के बाद धागा समेटने या फिर पतंग के साथ काफी निचले स्तर से गुजरता धागा आमतौर पर दिखाई नहीं देता यह अगर एक झटके से व्यक्ति के शरीर से गुजर भर जाए तो गहरा घाव तक हो सकता है। खासतौर पर मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले लोगों की नजर चूंकि सड़क पर होती है, इसलिए धागे को देख पाना उनके लिए आमतौर पर मुश्किल होता है और कई बार वे उस जानलेवा धागे की चपेट में आ जाते हैं। यह कहा जाता है कि ये धागे चीन से भारतीय बाजारों में आ रहे हैं। हो सकता है कि यह तथ्य हो। लेकिन इसके अलावा भी पतंग के शौकीन लोग स्थानीय स्तर पर नायलॉन के धागों पर कांच का चूरा, खतरनाक अधेसिव, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, जिरकोनिया ऑक्साइड और मैदा जैसी चीजों से तैयार लेप चढ़ा कर उसे मारक बना देते हैं, ताकि दूसरों की पतंग आसानी से काटी जा सकें। लेकिन सच यह है कि आज ये धागे कुछ लोगों के लिए पतंग काटने या इसके जरिए मनोरंजन करने का जरिया हैं तो इससे किसी का गला भी कट जा रहा है।

अलीगढ़ में मांझे वाले धागे की वजह से युवक की मौत की ताजा घटना इस तरह का कोई नया मामला नहीं है। इसके चलते कई बच्चों और लोगों के मरने की खबरें आ चुकी हैं। कुछ खास मौकों पर खतरनाक मांझे से लैस धागों के जरिए की जाने वाली पतंगबाजी की वजह से बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत या फिर घायल होने के मामले भी सामने आते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ सालों से तीखे मांझे वाले धागे की वजह से हुई कई मौतों और इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद न तो सरकार या प्रशासन को इस दिशा में ठोस पहलकदमी की जरूरत महसूस हुई है और न ही लोगों के बीच इस मसले पर संवेदनशीलता का विकास हुआ कि उनके खेल की वजह से अगर किसी जान जा सकती है, तो वे उसके बारे में एक बार ठहर कर सोचें।

अब वक्त है कि खतरनाक मांझे को लेकर हर स्तर पर संवेदनशीलता बरी जाए और इसे रोकने के लिए कानून का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ एक मांझे से किसी की जान जाना ठीक नहीं है। अपने मनोरंजन का मतलब यह नहीं कि दूसरे को मुसीबत में डाल दिया जाए।

■ स्वाति मालवीय
(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

ट्विटर

सरकार ने सात दशक पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। जम्मू-कश्मीर के एकीकरण का जो सपना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था वो अब सच हो रहा है।

**राम माधव, भजपा नेता**

यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व ने 1947 में भारत के साथ जाने का जो फैसला लिया था, वो आज गलत साबित हो गया।

**महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री**

सत्यार्थ

# धिक्कार बनाम प्यार

**सूफी** संत राबिया धर्मग्रंथ पढ़ रही थीं, तभी वहां एक फकीर आया और उनसे अपशब्द कहने लगा, पर राबिया शांत रहीं और धर्मग्रंथ पढ़ती रहीं। तब फकीर यह देखने राबिया के पास पहुंचा कि आखिर वह क्या पढ़ रही है, जो इसमें इस कदर डूबी है। जब उसने ग्रंथ पर नजर डाली, तो एक वाक्य के कुछ शब्दों को कटा हुआ पाया। उसने पूछा- ये शब्द किसने काटे हैं? राबिया बोलीं- मैंने। फकीर ने पूछा- क्या किसी मनुष्य को धर्मग्रंथ में लिखा अंश काटने का अधिकार है? राबिया ने कहा- हां, जैसे-जैसे धर्मग्रंथ की नसीहतों के जरिए हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हमारी बुद्धि परिपक्व होती जाती है। अगर हमें कोई अंश गलत लगे तो उसमें जरूरी सुधार करने में कोई हर्ज नहीं। फकीर ने फिर पूछा- तुमने किस अंश को गलत माना है? राबिया ने कहा- इसमें लिखा है कि शैतान को धिक्कारते रहना चाहिए। यह वाक्य मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने उसे काटकर लिख दिया कि शैतान से प्यार करना चाहिए। फकीर ने पूछा-शैतान को धिक्कारने में आखिर बुराई ही क्या है? राबिया ने कहा- अगर किसी व्यक्ति को धिक्कारना हो, तो उसके प्रति हमारे दिल में क्रोध होना चाहिए। मैं अपने पास क्रोध और नफरत जैसे दुर्गुणों को फटकने नहीं देती, क्योंकि मेरे दिल में खुदा का वास है। मुझमें जो खुदा छिपा हुआ है, वह मुझे दूसरों से भी प्रेम करने का आदेश देता है। वह जानता है कि शैतान को क्रोध से नहीं, बल्कि प्यार से ही वश में किया जा सकता है। इस कारण मैंने भी अब शैतान को धिक्कारने वाला वाक्य काटकर उसके स्थान पर उससे प्यार करने की बात लिख दी। राबिया के इस तर्क से फकीर का गुस्सा शांत हो गया और वह माफी मांगते हुए वहां से चला गया।

■ सुभाष चंद्र शर्मा

## क्या है धारा 370 जानिए इसके बारे में सबकुछ

आर्टिकल 370 है क्या और इसके हटाने के क्या मायने है? धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं-

- इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती।
- इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।
- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती है।
- भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के संबंध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है।
- जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है। वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है।
- भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार है, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते।
- भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती।
- जम्मू-कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू-कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते हैं।
- जम्मू-कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी।
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी (ष्ट्रन्न) जैसे कानून लागू नहीं होते हैं।
- कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है।
- कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं है।
- धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।

### गृह मंत्री अमित शाह ने बताई वजह

# मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 ए हटाने का इसलिए लिया फैसला

**जम्मू-कश्मीर से पूरी तरह से नहीं हटा है अनुच्छेद 370, खंड-1 अब भी है कायम: संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप**

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। उनका कहना है कि अनुच्छेद 370 तीन भागों में बंटा हुआ है। जम्मू-कश्मीर के बारे में अस्थाई प्रावधान है जिसको या तो बदला जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। अमित शाह के मुताबिक 370(1) बाकायदा कायम है सिर्फ 370 (2) और (3) को हटाया गया है। 370(1) के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को लागू कर सकते हैं। 370(3) में प्रावधान था कि 370 को बदलने संविधान सभा की सहमति चाहिए। वहीं 35ए के बारे में अभी कुछ तय नहीं है।

**धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी मिल जाती है भारतीय नागरिकता**

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। वहीं सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का ऐलान भी किया। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। सरकार के इस फैसले को भाजपा और उसके सहयोगियों के अलावा कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। उधर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद राज्यसभा में जवाब देते गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के कारण आज जम्मू-कश्मीर के लोग गुरबत की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी छाया में 3 परिवारों ने आजादी से लेकर आज तक राज्य को लूटा है। उन्होंने कहा कि धारा 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार फला और चरम सीमा पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का बहुत नुकसान किया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ भी 370 है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता जम्हूरियत चाहती है। उन्होंने कहा कि 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीबी के पीछे भी धारा 370 ही है। उन्होंने कहा कि 35 ए के कारण ही हुनरमंद लोग जम्मू कश्मीर नहीं जाते। उन्होंने कहा कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते हैं। घाटी में मुसलमान, हिंदू, सिख, जैन सभी रहते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और घाटी के लोगों का बहुत नुकसान किया है। शरणार्थियों को आज तक नागरिकता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई थी और इसे कभी न कभी हटना था, लेकिन पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए इसे हटाने की हिम्मत नहीं की। कैबिनेट ने सोमवार को हिम्मत दिखाकर और जम्मू-कश्मीर के लोगों के हित के लिए यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने पैसा दिया फिर भी जम्मू और कश्मीर का विकास नहीं हुआ।

अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर के लिए भेजे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 370 का उपयोग करके वहां भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून लागू नहीं होने दिए गए। हम तो राष्ट्रहित का बिल लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 ए हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है। आर्टिकल 370 और 35 ए हटने के बाद जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा सकती। ये कंपनियां वहां गई तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। बड़ी कंपनियां वहां गईं तो पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन 370 के कारण ये संभव नहीं है। 370 के कारण जम्मू कश्मीर में देश का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां वो अपना घर नहीं खरीद सकता, वहां का मतदाता नहीं बन सकता और वहां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता। 370 आरोग्य में भी बाधक है।

## संसद को ऐसे मिली आर्टिकल 370 खत्म करने की जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की शक्ति

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का आधिकार जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को है, लेकिन मौजूदा हालात में अनुच्छेद 370 में ही निहित एक व्यवस्था के तहत यह अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग करके उसके अधिकार राज्य विधानसभा को दिए गए। चूंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की शक्तियां मौजूदा समय में संसद के पास हैं इसलिए संसद में अनुच्छेद 370 की दो धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया।

राष्ट्रपति धारा 370 को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा चाहिए। सोमवार सुबह एक अधिसूचना के जरिए जम्मू-कश्मीर संविधान सभा भंग करके उसकी शक्ति राज्य विधानसभा को दी गई। चूंकि विधानसभा की शक्ति अभी संसद के पास है इसलिए संसद में धारा 370 की दो धाराओं को समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया। संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद यह खत्म हो जाएगी।

## शिवसेना ने कहा- अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे पीएम

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए शिव सेना ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। शिव सेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर, कल बलुचिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री अखंड हिंदुस्तान का सपना पूरा करेंगे। राष्टपति के आदेश के बाद राज्यसभा में देश के गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने की घोषणा की। पार्टी की युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए देश के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। दादर इलाके में स्थित शिवसेना के मख्यालय के बाहर जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के कदम का स्वागत करते हुए जश्न मनाया।

## ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया

यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के करीबी रहे कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का स्वागत किया है। जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि उनके राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया हमेशा इस धारा का विरोध करते थे, देर से ही सही लेकिन एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा गया है। कांग्रेस पार्टी जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रही है, लेकिन पार्टी के बीच इसको लेकर एक मत नहीं है, जनार्दन द्विवेदी से पहले राज्यसभा में कांग्रेस के व्हिप भुवनेश्वर कलिता ने पार्टी के रुख का समर्थन नहीं किया और पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया।

## धारा-370 का समर्थन, कालिता ने छोड़ी कांग्रेस

भुवनेश्वर कालिता ने सोमवार को पार्टी का दामन छोड़ दिया। कालिता ने कहा कांग्रेस ने उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर व्हिप जारी करने के लिए कहा था, लेकिन सच तो ये है कि देश का मिजाज बदल गया है और ये व्हिप देशवासियों की भावनाओं के खिलाफ है। इस दौरान बिल के समर्थन में सपा के सुरेन्द्र सिंह नागर, संजय सेठ, कांग्रेस के भुवनेश्वर कालिता ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि एक दिन घिसते-घिसते यह खत्म हो जाएगा।

# आर्टिकल 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर में आएंगे ये बड़े बदलाव, खत्म हो जाएंगी कई चीजें

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान किया। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। सरकार के ऐलान के अनुसार जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह फैसला स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है।

ऐसे में अब सवाल उठता है कि अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में क्या-क्या बदलाए आएंगे? यहां पर हम आपको अनुच्छेद 370 के लगे रहने और हटने स्थिति में आने वाले अंतर के बारे में बता रहे हैं-

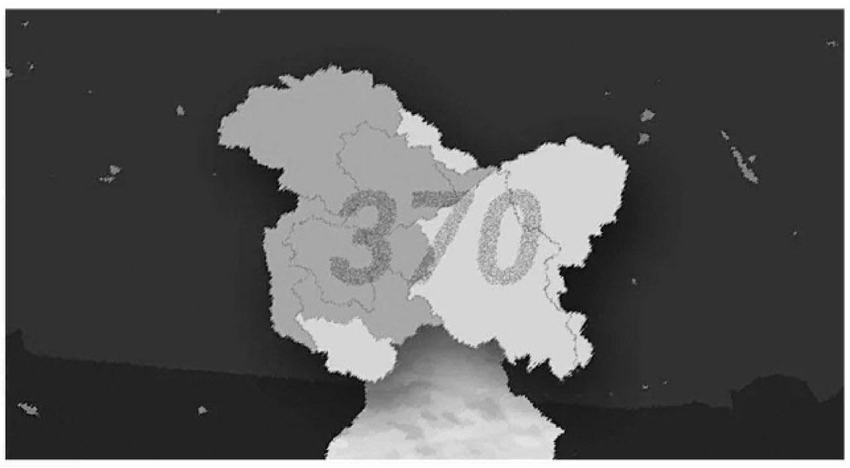


| पहले | अब |
|---|---|
| जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा था। वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था। | जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं होगा और यहां भी तिरंगा ही लहराया जाएगा। अब वहां के लोगों को भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करना होगा। |
| वोट का अधिकार सिर्फ जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिकों को था। देश के दूसरे राज्यों के नागरिक को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। | देश के दूसरे राज्यों के नागरिक भी अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और वोट कर सकते है। |
| जम्मू-कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल छह साल का होता था, जबकि देश के किसी भी राज्य में राज्य सरकार का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं होता है। | देश के किसी भी राज्य की तरह जम्मू-कश्मीर में भी अब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। विधानसभा के 6 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। |
| जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती थी। | जम्मू कश्मीर के लोगों के पास सिर्फ एक भारतीय नागरिकता होगी। |
| भारत के नागरिकों को स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। | धारा 370 के खत्म होते ही दूसरे राज्यों के लोग भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे। |
| जम्मू-कश्मीर की महिला अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत वह किसी पाकिस्तानी से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। | अब दोहरी नागरिकता भी अपने आप खत्म हो गई है। इस हिसाब से जम्मू-कश्मीर की महिला किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से विवाह करती है तो भी वो सिर्फ भारतीय ही कहलाएगी। |

## धारा 370 हटाए जाने के बाद और 8000 जवान जम्मू-कश्मीर हुए रवाना

जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 370 हटाने की केंद्र की घोषणा के बाद राज्य में 8000 और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। देश के अलग-अलग हिस्सों से इन जवानों को जम्मू-कश्मीर लाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का सी -17 परिवहन विमान जवानों को श्रीनगर ला रहे हैं। ये उन 30,000 सैनिकों के अतिरिक्त हैं, जिन्हें पिछले सप्ताह राज्य में लाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि देश में, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा बल, हाई अलर्ट पर हैं। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि वे आवश्यक सावधानी बरतें और अपने कैंपसों और आंदोलनों की सुरक्षा के लिए विशेष सलाह जारी करें। देशभर के सभी सुरक्षा बलों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में स्थित उनकी इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सैनिकों की भारी तैनाती जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। बता दें अनुच्छेद 370 रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को छोड़कर सभी मामलों के लिए जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान और निर्णय लेने का अधिकार देता है। संविधान के इस हिस्से को हटाने से कश्मीर के लिए विशेष दर्जा समाप्त हो जाता है। सरकार ने कहा है कि वह चाहती है कि संसद एक प्रस्ताव को मंजूरी दे, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करता है, जो प्रभावी रूप से अर्ध-राज्य हैं। जम्मू और कश्मीर, दिल्ली की तरह ही एक राज्य क्षेत्र होगा, जिसका अपना विधानमंडल होगा, जबकि अपनी विधानसभा के बिना लद्दाख दूसरा राज्य होगा। वहीं राज्य में बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती पर सरकार ने कहा कि ऐसा उच्च स्तर के आतंकी खतरे के जवाब में किया गया था।

## कश्मीर के राजाओं की सूची

राय सूरज देव 850-920
राय भोज देव 920-987
राय अवतार देव 987-1030
राय जसदेव 1030-1061
राय संग्राम देव 1061-1095
राय जसास्कर1095-1165
राय ब्रजे देव 1165-1216
राय नरसिंह देव 1216-1258
राय अर्जुन देव 1258-1313
राय जोध देव 1313-1361
राय मल देव 1361-1400
राय हमीर देव(भीम देव) 1400-1423
राय अजायब देव राय(देहांत 1528)
राय कपूर देव 1530-1570
राय समील देव 1570-1594
राय संग्राम 1594-1624
राजा भूप देव 1624-1650
राजा हरि देव 1650-1686
राजा गुजै देव 1686-1703
राजा ध्रुव देव 1703-1725
राजा रंजीत देव 1725-1782
राजा ब्रजराज देव 1782-1787
राजा संपूर्ण सिंह 1787-1797
राजा जीत सिंह 1797-1816
राजा किशोर सिंह 1820-1822

**कश्मीर के महाराजा:**

महाराजा गुलाब सिंह 1822-1856
महाराजा रणभौर सिंह 1856-1885
महाराजा प्रताप सिंह 1885-1925
महाराजा हरिसिंह 1925-1948

## जम्मू-कश्मीर से अलग होकर देश का नया केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख

राष्ट्रपति के आदेश से केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य में धारा 370 को हटा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा धारा 370 हटाने का ऐलान किया। इसके साथ अब जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि काफी समय से वहां के लोगों की मांग थी कि इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता मिले, ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें, लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। लद्दाख के उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। लद्दाख समुद्र की सतह से 9842 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख की राजधानी एवं प्रमुख नगर लेह है, जिसके उत्तर में कराकोरम पर्वत तथा दर्रा है।

लद्दाख क्षेत्र की आबादी लेह और कारगिल जिलों के बीच आधे हिस्से में विभाजित है। 2011 की जनगणना के अनुसार है, कारगिल की कुल जनसंख्या 140,802 है, जिसमें 76.87 प्रतिशत आबादी मुस्लिम (ज्यादातर शिया) है, जबकि लेह की कुल जनसंख्या 133,487 है, जिसमें 66.40 प्रतिशत बौद्ध हैं। इस हिसाब से लद्दाख की कुल जन संख्या 2,74,289 लाख है। लद्दाख में कई स्थानों पर मिले शिलालेखों से पता चलता है कि यह स्थान नव-पाषाणकाल से स्थापित है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। ज्यादातर ऐतिहासिक और वर्तमान स्थान जैसे कि लेह, शे, बासगो, तिंगमोसगंग सिंधु किनारे ही बसे हैं। 1947 के भारत-पाक युद्ध के बाद सिंधु का मात्र यही हिस्सा लद्दाख से बहता है। सिंधु हिंदू धर्म में एक पूजनीय नदी है, जो केवल लद्दाख में ही बहती है।

# मैडीकल कौंसिलों में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जायोगा- सोनी

■ जालंधर/नीरज

एम.बी.बी.एस की डिग्री के मैडीकल कालजों में दाखिले के दौरान पंजाब के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करनी यकीनी बनाई जायेगी। उक्त शब्दों का प्रगटावा डाक्टरी शिक्षा और अनुसंधान संबंधी कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री ओम प्रकाश सोनी द्वारा डाक्टरी शिक्षा और अनुसंधान विभाग की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में मैडीकल कालेजों में दाखिले के लिए बनाए गए नियमों को यथावत लागू करने के साथ साथ भविष्य में भी डाक्टरों की परवा करने के इचछुक पंजाब के विद्यार्थियों को सुरक्षित करने के लिए अभी से ही नीति बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए।

इस अवसर पर बोलते हुए डाक्टरी शिक्षा और अनुसंधान विभाग के अधीन आने वाले अस्पतालों के प्रिंसीपलों को हिदायत की कि वह इस अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आने वाले सभी मरीजों को हर संभव सुविधा दे ताकि लोगों का सरकारी प्रणाली में भरोसा और मजबूत हो सके।

उन्होंने इस मौके पर यह भी हिदायत की कि इलाज के नाम पर जेलों में सजड़ा काट रहे कैदी कई बार अस्पतालों में कई कई दिनों तक गलत तरीकों के दूारा दाखिल रहते हैं। इस पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाये ताकि जितने दिनों की मरीजड़ को जरूरत है उतने दिन ही एसे मरीजों को दाखिल रखा जाये। सोनी ने सभी मैडीकल कौंसिलों को हिदायत की कि किसी भी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यति को परेशान न किया जाए और यदि उनके संक्षान में एसा काई माला आया तो परेशान करने वाले अधिकारी कर्मचारी को बख्शोंगे नहीं। मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके विरूद बनती कार्यवाही आगामी 10 दिनों में अमल में लाई जाये।

# राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद केस की सुनवाई में आज की प्रमुख बातें

**नई दिल्ली/ब्यूरो**

अयोध्या विवाद पर आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दूसरे दिन निर्मोही अखाड़ा ने अपनी दलीलें अदालत के सामने रखी और कहा कि कि सूट फाइल करने का मकसद ये था कि हम अंदर के कोर्टयार्ड में अपना हक जता सकें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने निर्मोही अखाड़ा से पूछा कि क्या आपके पास इस बात को कोई सबूत हैं जिससे आप साबित कर सके कि रामजन्मभूमि की जमीन पर आपका कब्जा है। इसके जवाब में निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि 1982 में एक डकैती हुई थी, जिसमें उनके

कागजात खो गए। इसके बाद जजों ने निर्मोही अखाड़ा से अगले दो घंटों में रामजन्मभूमि से जुड़े साक्ष्य पेश करने को कहा। जिस पर निर्मोही अखाड़े के वकील ने जवाब दिया कि सभी दस्तावेज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में दर्ज हैं। रामलला की ओर से परासरण ने कहा कि ब्रिटिश राज में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जगह का बंटवारा किया तो मस्जिद की जगह राम जन्मस्थान का मंदिर माना। उन्होंने इस दौरान वाल्मिकी की रामायण का उदाहरण भी दिया। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य देते हुए परासरण ने कहा कि अंग्रेजों के माने में भी तब की अदालत ने एक फैसले में वहां बाबर की बनाई मस्जिद और जन्मस्थान मन्दिर का जिक्र किया था। इस पर जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि ऐसा ही किसी धार्मिक स्थान को लेकर दो समुदायों का कोई सवाल या विवाद दुनिया मे कहीं किसी भी अदालत में कभी आया है क्या?

# शिव मंदिर गांव कसवाड़ जिला हमीरपुर नजदीक टौणी देवी में शिव पूजन का आयोजन बड़ी धूमधाम

■ हमीरपुर/ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के गांव कसवाड़ नजदीक टौणी देवी में जालंधर निवासी श्री उमामहेश्वर जी ने 2004 में मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना की थी। 2004 से प्रतिवर्ष श्री उमामहेश्वर जी समस्त परिवार एवं अपने मित्रों और संबंधियों सहित मंदिर में आते है और शिव पूजन एवं जागरण का आयोजन किया जाता है। इस जागरण में दूसरे गांव के लोग भी आते है।

इसमें समस्त गांव निवासी सामूहिक रूप से इनका स्वागत व सहयोग करते है और ये शिव मंदिर का कार्यक्रम अन्तराज्यीय कार्यक्रम बन जाता है जिसमें समस्त गांव निवासी खुशी का अनुभव करते है। 2006 में इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने गांव में आकर और समस्त जालंधर से आए हुए अतिथियों से मिलकर मंदिर में प्रसन्नता अनुभव की। इस कार्यक्रम में दोनों राज्यों की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। सभी भक्तजनों को गांव में सड़क मार्ग न होने की कमी खलती है। अत: जालंधर से आए भक्तजन व गांव निवासी हिमाचल प्रदेश सरकार से अपील करते है कि गांव में चल रहे कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें।

सड़क मार्ग न होने की मुँह बोलती तस्वीर

# दिल्ली में नहीं बचा कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री, एक साल के भीतर तीन का निधन

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

सुषमा स्वराज का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वह 67 वर्ष की थीं। सुषमा स्वराज के निधन के साथ हीं दिल्ली में कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बचा जो जीवित हो। पिछले एक साल के अंदर दिल्ली के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों का निधन हो गया। 27 अक्टूबर 2018 की रात को पूर्व सीएम और %दिल्ली का शेर% कहे जाने वाले मदन लाल खुराना का निधन हो गया तो 20 जुलाई, 2019 को शीला दीक्षित ने दुनिया को अलविदा कह दिया। साहिब सिंह वर्मा का 2007 में ही निधन हो गया था।

दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का कार्यकाल 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक रहा। खुराना को भारत की राजधानी नई दिल्ली में भाजपा को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने केदार नाथ सहनी और विजय कुमार मल्होत्रा के साथ 1960 से 2000 तक यानि कि चार दशकों से अधिक समय तक पार्टी को नई दिल्ली में बनाए रखा। शुरू से जनता पार्टी के नेता रहे साहिब सिंह वर्मा बाद में भाजपा में शामिल हो गए। मदन लाल खुराना की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में शिक्षा और विकास मंत्री बने। मदन लाल खुराना के भ्रष्टाचार के मामले में फंसने के बाद भाजपा ने साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली का कमान सौंपा। खुराना से बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच साहिब सिंह वर्मा का कार्यकाल ढाई साल तक चला।

दिल्ली भाजपा के आंतरिक गुटबाजी से परेशान होकर आलाकमान ने सुषमा स्वराज को सीएम बनाया। प्याज की कीमत की वजह से भाजपा सत्ता में नहीं आ सकी। सुषमा स्वराज का कार्यकाल 52 दिन का ही रहा। सुषमा स्वराज दिल्ली के हौज खास इलाके से विधायक रहीं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सुषमा स्वराजअपनी विनम्रता, मिलनसार व्यवहार, बेहतरीन मेहमान नवाजी और सबको सुनने वाली नेता के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहीं। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी इस छवि को बरकरार रखा।

दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता में लाने वाली शिला दीक्षित 15 वर्षों तक यहां की मुख्यमंत्री रहीं। शीला ने 1990 के दशक में जब दिल्ली की राजनीति में कदम रखा तो कांग्रेस में एचकेएल भगत, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर सरीखे नेताओं की तूती बोलती थी। इन सबके बीच शीला ने न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनीं। दिल्ली के विकास में शीला का अहम योगदान माना जाता है।

# बसपा ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल, दानिश अली को पद से हटाया

**लखनऊ/ब्यूरो**

बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को संगठन में भारी फेरबदल करते हुये पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है और वहीं लोकसभा में पार्टी के नेता अब श्याम

सिंह यादव होंगे, इस जिम्मेदारी को अबतक दानिश अली निभा रहे थे। बसपा द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी, देश व ''सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय'' की पार्टी है और राज्य की प्रदेश स्तरीय बसपा संगठन की कमेटी में कुछ जरूरी तब्दीली की गई है। बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का बसपा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद मुनकाद अली को नियुक्त किया गया है। बयान में कहा गया है कि इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे आर.एस. कुशवाहा को अब बसपा केंद्रीय इकाई का महासचिव बना दिया गया है। बयान में कहा गया कि बसपा के जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव को लोकसभा में नेता बनाया है जबकि रितेश पाण्डेय को लोकसभा में उप नेता नियुक्त किया गया है। गिरीश चन्द्र जाटव लोकसभा सांसद पार्टी के लोकसभा में ''मुख्य सचेतक'' बने रहेंगे।

# मनमोहन और सुषमा ने शायरी से एक दूसरे पर साधा था निशाना

■ श्रीनगर/ब्यूरो

पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच अक्सर वाकयुद्ध होता रहता था लेकिन उसी दौरान सुषमा स्वराज और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच हुयी शेरो-शायरी अब भी लोग याद करते हैं।सुषमा उस समय नेता प्रतिपक्ष थीं और कई यादगार उदाहरण हैं जिनमें दोनों नेताओं ने शेरो-शायरी के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा।

पंद्रहवीं लोकसभा में ही एक बहस के दौरान सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए मिर्जा गालिब का मशहूर शेर पढ़ा, ''हम को उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।' इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर शेर का जवाब दूसरे शेर से नहीं दिया जाए तो ऋण बाकी रह जाएगा। इसके बाद उन्होंने बशीर बद्र की मशहूर रचना पढ़ी, '' कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।'' इसके बाद सुषमा ने दूसरा शेर भी पढ़ा, ''तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं।'' सुषमा स्वराज के इस शेर के बाद सदन में मौजूद सदस्य अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। इसी तरह 2011 में भी दोनों नेता आमने सामने थे। सिंह ने इकबाल के एक शेर को उद्धत किया था, ''माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख।'' इस पर सुषमा ने कहा था, ''ना इधर-उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।''एक बार राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने भी उन पर निशाना साधा। इस पर सुषमा ने भी उन्हीं के अंदाज में कहा था कि वह मसखरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते।

# पैरालिसिस मरीज़ को सही वक्त पर सही इलाज मिलने से पूरी तरह ठीक हो जाता: डा. सनम कुमार

## जालंधर ब्रीज के पत्रकार नीरज को जानकारी देते हुए सीनियर डाक्टर सनम कुमार के माध्यम से पैरालिसिस क्या होता है ओर पैरालिसिस अधरंग की मुख्य निशानीयां पैरलिसिस यानी लकवा का इलाज

### क्या है पैरालिसिस

पैरालिसिस को आमतौर पर लकवा, पक्षाघात, अधरंग, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में हर साल 18-20 लाख लोग इस बिमारी इसकी झपेट में आते है। सही जानकारी न होने या समय पर इलाज न होने के कारण इनमें से एक तिहाई लोगों की मौत हो जाती है, जबकि करीब एक तिहाई लोग अपंग हो जाते है। ऐसे में इन्हें अपने परिवर वालों पर आश्रित (बोझ) होना पड़ता है। करीब एक तिहाई लोग खुशकिस्मत होते है, जो वक्त पर सही इलाज मिलने से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और पहले की तरह की ही नॉर्मल जिंदगी जीने लग पड़ते है।

अधरंग को कई बार दिमाग का अटैक भी कहते हैं। यह दिमाग में खून के बहाव के रूक जाने के कारण या दिमाग में खून की नाड़ियां फट जाने के कारण भी हो सकता है। कई बार यह दिमाग के ठीक ढंग से काम न करने के काण भी होता है।

### अधरंग के मुख्य लक्षण क्या होते है?

दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है ओर पैरालिसिस का

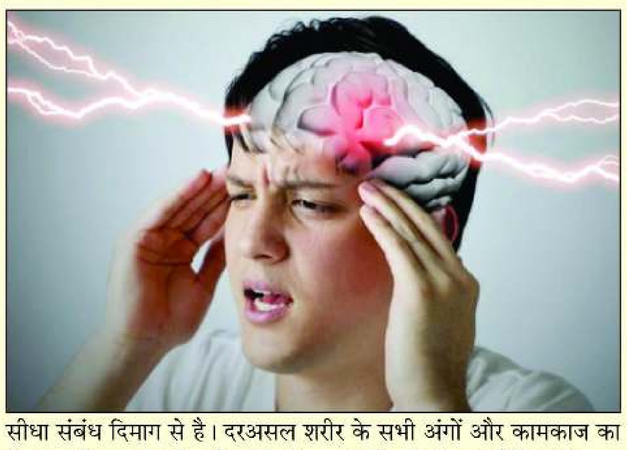

सीधा संबंध दिमाग से है। दरअसल शरीर के सभी अंगों और कामकाज का नियंत्रण दिमाग से होता हैं। बोलने, जलने-फिरने, देखने जैसे सभी काम दिमाग से ही कंट्रोल होते है। जब दिमाग की खून की नलियों में कोई खरीब आ जाती है तो ब्रोन स्ट्रोक होता है, जो पैरालिसिस की बजह बनता है।

शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह ही दिमाग में भी दो तरह की खून की नलियां होती है। एक जो दिल से दिमाग तक खून लाती हैं और दूसरी, जो दिमाग से वापस दिल तक खून लौटाती है। जो नलियां खून दिल तक ले जाती है, उन्हें शिरा (वेन) कहते हैं। वैसे तो पैरालिसिस धमनी या शिरा में से किसी की भी खराबी से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह समस्या आर्टरी में खराब के कारण होती है।

अगर दिमाग के अंदर नली फट जाती है तो खून बाहर नकलकर जम जाता है। इसे ब्लड क्लाट (खून का थक्का) कहते हैं। जैसे जैसे खून की मात्रा बढ़ती जाती है क्लाट का साइज बढ़ता जाता है और जल्द ही यह खून की नली या उसके जख्म को बंद कर देता है जिससे खून का निकलना बंद हो जाता है।

### पैरालिसिस अधरंग की मुख्य निशानियां

अगर किसी को अजानक हाथ-पैर चलाने में, देखने में, बोलने में या बात समझने में दिक्कत हो या अचानक एसा दर्द हो जैसा कभी न हुआ हो, तो जल्द से जल्द उसे हांस्पिजल पहुंचाना जाहिए। इसके इलाज में अटैक के बाद के 6 घंटे बहुत अहम होते है। इलाज में देरी होने से अपंग होने से लेकर जान जाने तक की आशंका रहती है।

इस दौरान अगर मरीज बेहोश हो जाए तो उसको एक करवट लिटा देना जाहिए ताकि मुंह की लार फेफड़े में न जा जाए।

पैरालिसिस के मरीजों को दूसरे अटैक से बचने के लिए पहले अटैक के एक साल तक ज्यादा सतर्क रहना जाहिए। पहले एक साल तक मरीजों में दूसरा अटैक होने का खतरा ज्यादा रहता है।

### ऐसे होता है पैरलिसिस यानी लकवा का इलाज

सबसे पहले मरीज का सीटी स्कैन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर एमआर आई भी करते हैं। इसके अलावा, ड्राप्लर टेस्ट, सीटी एंजियोग्राफी, हार्ट इको, ईसीजी, शुगर, थायरायड आदि जांच करते है। खून की नली में अगर ब्लाकेज है तो स्टंट लगाकर उसे खोलते हैं। इसके बाद लगातार मरीज को निगरानी में रखा जाता है। स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरपी बहुत अहम है। अगर मरीज फिजियोथेरपी की एक्सरसाजि खुद सही से नहीं कर पा रहा हो ते परिवार को इसमें मदद करना चाहिए। मरीज की हालत धीरे धीरे ही सुधरती है। एसे में परिवार वलों को सब्र रखना चाहिए। दिन में दो तीन बार ालिश करें। यह फिजियोथेरपी का ही एक हिस्सा है। इससे खून का दौरा बढ़ता है। आयूर्वेद में भी रिकवरी के लिए उपाय है।